अपर समाहर्त्ता, दुमका का न्यायालय

(12)

आर0एम0ए0 वाद सं0–65/2011–12

शांति देवी पति–स्व0 ठाकुर प्रसाद साह, ग्राम–झाझापाड़ा,थाना–दुमका(मु0) मसानजोर, जिला दुमका –बनाम्–

भूटो पूजहर, पिता–स्व0 भागीरथ पुजहर, ग्राम–झाझापाड़ा, थाना–दुमका(मु0) मसानजोर, जिला–दुमका एवं अन्य।

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3
20.12.23	**आदेश** प्रस्तुत आर0एम0ए0 वाद सं0–65/2011–12 शांति देवी पति–स्व0 ठाकुर प्रसाद साह, ग्राम–झाझापाड़ा, थाना–दुमका (मु0) मसानजोर, जिला दुमका के द्वारा भूटो पूजहर, पिता–स्व0 भागीरथ पुजहर, ग्राम–झाझापाड़ा, थाना–दुमका(मु0) मसानजोर, जिला–दुमका एवं अन्य के विरूद्ध एवं अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के आर0ई0 केस सं0–09/92–93 में पारित आदेश दिनांक–15.03.2002 के विरूद्ध दायर किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता के द्वारा समर्पित आवेदन पत्र में वर्णित किया गया है कि मौजा झाझापाड़ा प्लॉट नं0–740 विपक्षी के दिवंगत पिता–कार्तिक पहाड़िया के नाम और दखल में है, भूटो पुजहर एक बाहरी व्यक्ति है उसका खतियानी रैयत कार्तिक पहाड़िया से कोई संबंध नहीं है। अपीलकर्त्ता की सारी जमाबन्दी जमीन मसानजोर बाँध में डुब गई है और वह वस्तुतः एक भूमिहीन महिला है। अपीलकर्त्ता को कार्तिक पहाड़िया द्वारा अपने प्लॉट सं0 की 4डी0 जमीन किराये पर आवंटित की गई है अपीलकर्त्ता द्वारा वर्ष 1935 में झोपड़ी का निर्माण कराया गया। पुनः वर्ष 1970 में उसी भूमि पर अपीलकर्त्ता के द्वारा खपरापोश घर का निर्माण कराया गया वहाँ उनका आवासीय घर है। निम्न न्यायालय द्वारा बिना सोचे समझे आदेश पारित किया गया। यह एक विकृत आदेश है। अपीलकर्त्ता द्वारा अपने लिखित बहस में यह भी वर्णित किया गया है कि संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम वर्ष 1949 में लागू हुआ। अपीलकर्त्ता के द्वारा वर्ष 1935 में अर्थात संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम वर्ष 1949 में लागू होने के कई वर्ष पूर्व झोपड़ी का निर्माण कर वसोवास किया गया एवं उक्त भूमि पर कई दशकों से निरंतर दखल है। संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम की धारा 20 एवं 42 के प्रावधानों का सहारा लेकर किसी व्यक्ति को बेदखल नहीं किया जा सकता है। यदि उसने 01.11.1949 से 12 वर्ष से अधिक समय से लगातार सम्पत्ति पर कब्जा कर के अपना स्वामित्व पूरा कर लिया गया है। *"1985 में पारित निर्णय के रिपोर्ट बी0बी0सी0जे0 12(FB)"*। बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियमन 1969 के पहले विचाराधीन भूमि संरचना सिविल रेट क्षेत्राधिकार मामले संख्या में पारित निर्णय के अनुसार इस मामले पर नये सिरे से विचार करने की आवश्यकता है। विपक्षी के अधिवक्ता द्वारा समर्पित लिखित बहस में वर्णित किया गया है कि विषयगत भूमि विपक्षी का रैयती भूमि है। जिस पर अवैध तरीके से बल पूर्वक झोपड़ी बनाकर कब्जा दिखाने का प्रयास किया जाता रहा है जो संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम की धारा 20 और 42 का उल्लंघन है। विद्वान अनुमण्डल पदाधिकारी के आर0ई0 वाद सं0 में पारित आदेश कानून की दृष्टि से न्यायसंगत है। अपीलकर्ता गैर आदिवासी है और विपक्षी अनुसूचित जनजाति समुदाय के जमाबंदी रैयत के वंशज है।	

अभिलेख में उपलब्ध दस्तावेजों उपरोक्त विवेचन, अपीलकर्त्ता के आवदेन, निम्न न्यायालय का अभिलेख, अपीलकर्त्ता एवं विपक्षी द्वारा समर्पित बहस के अवलोकन से स्पष्ट है कि मामला प्रश्नगत भूमि पर हक, अधिकार एवं स्वत्व से संबंधित विवाद का है, जिसका निर्णय सक्षम न्यायालय द्वारा ही किया जा सकता है। अतएव उभय पक्ष सक्षम न्यायालय में जा सकते है।

इस निष्कर्ष के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

20/1/25

अपर समाहर्त्ता,
दुमका।

20/1/25

अपर समाहर्त्ता,
दुमका।

Digitally signed by RAJIV KUMAR
Date: 2025.04.08 16:36:55 +05:30
Location: 192.168.1.133